

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 70/2017(रामनिवास वगै0 बनाम शोभा वगै0)

निर्णय दिनांक :-13.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.08.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम निराधनू पटवार हल्का निराधनू की सरहद में भूमि ख0न0 252, 272, 273, 271 कुल किता 4 कुल रकबा 14.62 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मुताबिक तहसीलदार मलसीसर की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2025 निर्णय का भाग रहेगी। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 13.08.2025 को जारी की गई।



५१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर